न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–6/विशेष न्यायाधीश भ्र0नि0अधि0 (यू0पी0एस0ई0बी0), बरेली

उपस्थितः संदीपा यादव " एच0जे0एस "

दाण्डिक अपील संख्या 78 सन् 2023

CNR No UPBR010075302023

मो0 जाहिद पुत्र स्व0 नन्हू मियां, निवासी मोहल्ला नसीराबाद कस्बा व थाना मिलक, जिला रामपुर। .....अपीलार्थी/अभियुक्त

बनाम

1. उत्तर प्रदेश सरकार,
2. श्रीमती शमा परवीन पत्नी मोहम्मद जाहिद, पुत्री बाबम बखश, निवासी ग्राम सरदार नगर, थाना भमोरा, जिला बरेली।

निर्णय

1. प्रस्तुत दाण्डिक अपील, मो0 जाहिद की ओर से परिवाद सं0–816/2021 श्रीमती शमा परवीन बनाम मो0 जाहिद आदि, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधि0 2005 थाना भमोरा, जिला बरेली, में विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष सं0–5 बरेली, के द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांकित 02.05.2022 के विरूद्ध संस्थित किया गया है।

2. अपीलार्थी द्वारा अपील में मुख्य आधार यह लिया गया है कि विचारण न्यायालय का आदेश दिनांक 02.05.2022 त्रुटिपूर्ण एवं विधि विरूद्ध है। विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता को सुने बिना आदेश पारित कर दिया, जबकि अपीलकर्ता उपरोक्त पत्रावली में आदेश की दिनांक से पूर्व से हाजिर आ रहा है। दिनांक 02.05.2022 को अपीलकर्ता की ओर से विचारण न्यायालय में हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र दिया गया था। विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता को सुने बिना दिनांक 02.05.2022 को 4000/–रूपये अन्तरिम भरण पोषण देने का आदेश पारित कर दिया जोकि कानूनन गलत है और निरस्त होने योग्य है। अपीलकर्ता की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, अपीलकर्ता बमुश्किल से अपने परिवार के गुजर बसर हेतु ही कमा पाता है। विपक्षी शमा परवीन कारचोवी/जरी का काम जानती है जिससे लगभग 300/–रू0 प्रतिदिन कमाती है। इस कारण भी विपक्षी के माता पिता विपक्षी को अपीलकर्ता के साथ भेजने को तैयार नहीं है। अपीलकर्ता मजदूर पेशा व्यक्ति है। अपीलकर्ता की कोई स्थाई माहवार आमदनी नहीं है। अपीलकर्ता की स्थिति भरण पोषण अदा करने लायक नहीं है। निवेदन किया गया है कि विद्वान विचारण

न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांकित 02.05.2022 निरस्त किया जाय।

3. उक्त मामले में अपीलकर्ता एवं विपक्षी संख्या–2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।

4. विद्वान ए.डी.जी.सी.(क्रिमिनल), को सुना तथा अपीलीय पत्रावली का अवलोकन किया जा चुका है।

5. अपीलीय पत्रावली में अपीलार्थी की ओर से प्रकीर्ण वाद संख्या–816/2021 शमा परवीर बनाम मो0 जाहिद आदि में पारित अन्तरिम आदेश दिनांकित 02.05.2022 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गयी है।

6. अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत दाण्डिक अपील में वर्णित किया गया है कि विचारण न्यायालय ने साक्ष्यों को गलत तरीके से उसे बिना सुने आदेश पारित किया गया है जो विधि विरूद्ध है। यह भी वर्णित किया गया है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने भरण पोषण की राशि अधिक निर्धारित कर दिया है।

7. पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि विपक्षी सं0–2 श्रीमती शमा परवीन द्वारा मो0 जाहिद आदि के विरूद्ध घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधि0 2005 की धारा–23(2) के अन्तर्गत परिवाद विद्वान अपर सिविल जज, चतुर्थ बरेली, के समक्ष दाखिल किया गया। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रकीर्ण वाद सं0–816/2021 की पत्रावली में प्रार्थिनी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वास्ते अन्तरिम अनुतोष अन्तर्गत धारा–23(2) घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधि0 पर आदेश पारित करते हुए अपीलार्थी/विपक्षी मो0 जाहिद को आदेशित किया है कि प्रत्येक माह की 10 तारीख तक विपक्षी सं0–2/आवेदिका शमा परवीन को अन्तरिम भरण पोषण के रूप में 4,000/–रू0 प्रति माह देगा।

8. उक्त आदेश के विरूद्ध वर्तमान अपील मो0 जाहिद की ओर से दाखिल की गई है।

9. विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि उक्त परिवाद दाखिल होने पर आवेदिका की याचिका पर अन्तरिम भरण–पोषण हेतु आक्षेपित आदेश पारित हुआ है।

10. न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय साक्ष्य एवं आलोच्य आदेश का परिशीलन किया गया।

11. पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी मो0 जाहिद एवं प्रत्यर्थी सं0–2 श्रीमती शमा परवीन आपस में पति–पत्नी हैं। यह भी

स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी सं0–2 अपने पति अपीलार्थी मो0 जाहिद से अलग रह रही है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी सं0–2 श्रीमती शमा परवीन की कोई निश्चित आय नहीं है और न ही कोई निश्चित आय का स्रोत है। इस सम्बंध में अपीलार्थी की ओर से कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे कि यह स्पष्ट हो कि प्रत्यर्थी सं0–2 श्रीमती शमा परवीन की कोई स्वतन्त्र निश्चित आय का स्रोत है जिससे वह अपना जीवन यापन कर सकती है न ही इस बात का कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया कि प्रत्यर्थी सं0–2 श्रीमती शमा परवीन किसी अन्य न्यायालय से भरण–पोषण पा रही हो। चूंकि अपीलार्थी मो0 जाहिद, प्रत्यर्थी सं0–2 श्रीमती शमा परवीन का पति है, उसका भरण पोषण, पालन–पोषण का विधिक, नैतिक एवं सामाजिक दायित्व अपीलार्थी पर ही है। मात्र पृथक रहने से अपीलार्थी, प्रत्यर्थी सं0–2 श्रीमती शमा परवीन के भरण–पोषण के दायित्व से उन्मोचित नहीं हो सकता है।

12. अपीलार्थी मो0 जाहिद की ओर से द्वारा अधिवक्ता प्रस्तुत अपील में कथन किया गया है कि विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता को सुने बिना दिनांक 02.05.2022 को 4000/–रूपये अन्तरिम भरण पोषण देने का आदेश पारित कर दिया गया। अपीलकर्ता की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, अपीलकर्ता बमुश्किल से अपने परिवार के गुजर बसर हेतु ही कमा पाता है। विपक्षी शमा परवीन कारचोबी/जरी का काम जानती है जिससे लगभग 300/–रू0 प्रतिदिन कमाती है। अपीलकर्ता मजदूर पेशा व्यक्ति है। अपीलकर्ता की कोई स्थाई माहवार आमदनी नहीं है। अपीलकर्ता की स्थिति भरण पोषण अदा करने लायक नहीं है।

13. उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा उपरोक्त अन्तरिम आदेश प्रार्थिनी के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के उपरान्त पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों के परिशीलन के उपरान्त पारित किया गया है जिसमें कोई भी त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। अतः ऐसी स्थिति में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा जो अन्तरिम आदेश पारित किया गया है वह विधि सम्मत, न्यायिक मंशा के अनुरूप एवं सामाजिक व नैतिक परिस्थितियों एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए पारित किया गया है। इस प्रकार उपरोक्त आदेश में किसी प्रकार की कोई अवैधता, अनियमितता या विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है।

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर

पहुंचती है अपीलार्थी द्वारा अपील में उठाये गये तर्को में कोई बल नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश समस्त तथ्य, परिस्थितियों के अनुरूप एवं विधि सम्मत तरीके से पारित किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तद्नुसार विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांकित 02.05.2022 पुष्ट किये जाने योग्य है तथा वर्तमान अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा परिवाद सं0–816/2021 श्रीमती शमा परवीर बनाम मो0 जाहिद आदि अन्तर्गत धारा घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधि0 थाना भमोरा, जिला बरेली, में पारित आदेश दिनांकित 02.05.2022 पुष्ट किया जाता है। अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत क्रिमिनल अपील सं0– 78/2023 मो0 जाहिद बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य निरस्त की जाती है।

निर्णय/आदेश की एक प्रति विद्वान विचारण न्यायालय को अविलम्ब प्रेषित की जाय।

(संदीपा यादव)
दिनांकः 06.06.2026 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–6/
विशेष न्यायाधीश भ्र0नि0अधि0 (यू0पी0एस0ई0बी0),
बरेली।

निर्णय एवं आदेश आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर उद्घोषित किया गया।

(संदीपा यादव)
दिनांकः 06.06.2026 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–6/
विशेष न्यायाधीश भ्र0नि0अधि0 (यू0पी0एस0ई0बी0),
बरेली।

Digitally signed by SANDEEPA YADAV
Date: 2026.06.20 12:54:57 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court